मिसल नम्बर 22/2021
निर्णय दिनांक 16–04–2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह
मिसल नम्बर :– **22/2021**

सरकार

बनाम

रामस्वरुप,अमर सिंह पुत्रान श्री रघुवीर जाति जाट निवासी मेंहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0।

...................गैर सायलान

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 16–04–2021

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर कोई हाजिर नही। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का मेंहाड़ा जाटूवास के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम मेंहाड़ा जाटूवास** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 320 रकबा 1.15 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.02 हेक्टेयर पर से गैर सायलान रामस्वरुप,अमर सिंह पुत्रान श्री रघुवीर जाति जाट निवासी मेंहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने गैर मुमकिन पहाड़ पर दिवार,टिन शैड एवं छड़ी लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायलान के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस कपिल पुत्र रामसवरुप से तामिल हो चूका है। जो की गैर सायल का पुत्र है गैर सायलान को सूचना हेतु पर्याप्त है। नोटीस तामील होने के बावजूद गैर सायलान अनुपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायलान रामस्वरुप,अमर सिंह पुत्रान रघुवीर जाति जाट निवासी मेंहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने **राजस्व ग्राम मेंहाड़ा जाटूवास** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 320 रकबा 1.15 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि पर दिवार लगाकर,टिन शैड एवं छड़ी लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायलान को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का मेंहाड़ा जाटूवास की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

(लगातार)

तहसीलदार खेतड़ी

मिसल नम्बर 22/2021
निर्णय दिनांक 16–04–2021

–: **आदेश** :–

अतः प्रकरण में गैर सायलान की अनुपस्थिति में गैर सायलान के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का मेंहाड़ा जाटूवास के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायलान को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम मेंहाड़ा जाटूवास** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 320 रकबा 1.15 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.02 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायलान से शरह लगान 2 रूपये का 50 गुणा = 100/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का मेंहाड़ा जाटूवास से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की **राजस्व ग्राम मेंहाड़ा जाटूवास** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 320 रकबा 1.15 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16–04–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी